भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/प्रे नो/65/2018 दिनांक: 26 सितम्बर, 2018

प्रेस नोट

विषय: वीवीपीएटी और ईवीएम की सुचारू रूप से आपूर्ति और यह चिन्ता का विषय न होना।

भारत निर्वाचन आयोग, वर्ष 2019 में लोक सभा निर्वाचन हेतु वीवीपीएटी की आपूर्ति के संबंध में निराधार आशंकाओं का निराकरण करना चाहता है। आयोग, लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के भावी साधारण और उप निर्वाचनों में सभी मतदान केन्द्रों में वीवीपीएटी के 100% परिनियोजन के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्ष 2019 में आगामी लोक सभा निर्वाचन के लिए सभी मतदान केन्द्रों हेतु 100% वीवीपीएटी की आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से आयोग ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), बंगलौर और इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल), हैदराबाद को 17.45 लाख वीवीपीएटी की आपूर्ति का आर्डर दिया था। आज की तारीख तक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 9.45 लाख ईकाइयों का उत्पादन किया जा चुका है। सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों उपक्रमों ने आयोग को भरोसा दिलाया है कि शेष वीवीपीएटी ईकाइयों (8 लाख) का उत्पादन और उनकी आपूर्ति सहजतापूवर्क नवम्बर, 2018 के अंत से पहले ही विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कर दी जाएगी।

आयोग लगातार और समय-समय पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सीएमडी और तकनीकी सुविज्ञ समिति (टीईसी) के साथ वीवीपीएटी के उत्पादन और आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करता रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टीईसी, जो कि उत्पादन प्रक्रिया और उत्पाद प्रदर्शन का कड़ा पर्यवेक्षण कर रहा है, द्वारा सुझाव की गई विशेषताओं को शामिल करने के पश्चात ईवीएम और वीवीपीएटी की सभी ईकाइयों के डिज़ाइन, उत्पादन और आपूर्ति संबंधी सभी कार्यकलाप सुचारू और समयबद्ध रूप से पूरे किए जा सकें। आयोग के अधिकारी, मतदान पूर्व तैयारी और समयोचित सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए दैनिक आधार पर मशीनों के उत्पादन और उनकी आपूर्ति का अनुवीक्षण कर रहे हैं।

पूर्व निर्वाचनों में वीवीपीएटी की विफलता दर की प्रवृति पर विचार करते हुए आयोग ने अतिरिक्त वीवीपीएटी की आवश्यकताओं को वास्तव में 125% से 135% तक बढ़ा दिया है। आयोग ने आगामी लोक सभा निर्वाचनों के लिए 171% बैलेट ईकाइयों, 125% कंट्रोल ईकाइयों और 135% वीवीपीएटी की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। यह नोट किया जाए कि वीवीपीएटी में कोई भी खराबी होने पर उसे केवल आरक्षित वीवीपीएटी से ही बदला जाता है जबकि ईवीएम की बैलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट में कोई भी खराबी होने पर बैलेट यूनिट (टों), कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी के पूरे सेट को ही बदल दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप ईवीएम की कंट्रोल यूनिट की आवश्यकता की तुलना में वीवीपीएटी की आवश्यकता में वृद्धि होती है।

यहां यह बताना उचित होगा कि मई, 2018 में कैराना और भन्डारा-गोन्दिया उप-निर्वाचनों, जहां मतदान केन्द्रों में अत्यधिक धूप/प्रकाश के कारण मुख्यत: खराबी आई थी, के अनुभव से शिक्षा लेते हुए आयोग ने अत्यधिक धूप/प्रकाश के कारण वीवीपीएटी को स्वत: बंद होने से बचाने के लिए तकनीकी सुविज्ञ समिति द्वारा संस्तुत हार्डवेयर उन्नयन को अपनाया है।

यह नोट करना भी उचित होगा कि विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ईवीएम और वीवीपीएटी की विस्तृत प्रथम स्तरीय जांच सहित लोक सभा निर्वाचनों हेतु व्यापक और सुव्यवस्थित प्रारंभिक गतिविधियों को पहले ही आरंभ किया जा चुका है और इन्हें कुशल, प्रभावी और समयबद्ध रूप से पूरा कर लिया जाएगा। मानवीय चूकों के कारण ईवीएम/वीवीपीएटी खराब होने की घटनाओं को कम करने के लिए आयोग द्वारा मतदान पदाधिकारियों की प्रथम स्तरीय जांच संबंधी कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं।

यह सराहनीय है कि विगत बीस वर्षों से भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम का प्रयोग करते हुए 113 राज्य विधान सभा निर्वाचनों और 03 लोक सभा निर्वाचनों का सफलतापूर्वक संचालन किया है। जून, 2017 से संवर्धित मतदाता सत्यापनीयता के लिए सभी राज्य विधान सभाओं और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में साधारण तथा उप निर्वाचनों में ईवीएम का सफलतापूर्वक प्रयोग करते हुए वोटर वेरीफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) का भी प्रयोग किया गया है। आयोग आगामी निर्वाचनों में वीवीपीएटी का इस्तेमाल करने के लिए पूर्णतया सक्षम है।

भारत निर्वाचन आयोग, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत प्रचलित विधि के अनुसार निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण प्रदान के लिए अधिदेशित है।

(पवन दीवान)
अवर सचिव